बिषय: - केंद्रीय सरकारी उद्योगों में असंघठ्ठ परिवेशक परिवर्तन नियमधेत निवेशक महंगाई तरीके के तथा निवेशक महंगाई तरीके से नीचे के दरों के वेतनमान में 01.01.2007 से संघठन-संवैधानिक दरों पर आधारित महंगाई भत्ते का भुगतान।

इस बिषय के दिनांक 02.04.2019 के समसंगठन कार्यवाह जारी पर संवैधानिक दरों तथा असंघठ्ठ परिवेशकों को देने महंगाई भत्ते की दरें (2007 का वेतन संस्थापन) निष्प्रकारण कर दी जाएँ।

(क) जिस तारीख से देय है : 01.07.2019

(ख) मार्च, 2019- मई, 2019 तिमाही का औसत अर्थनीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001 =100)

<table>
<thead>
<tr>
<th>मास</th>
<th>सूचकांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>मार्च, 2019</td>
<td>309</td>
</tr>
<tr>
<td>अप्रैल, 2019</td>
<td>312</td>
</tr>
<tr>
<td>मई, 2019</td>
<td>314</td>
</tr>
<tr>
<td>तिमाही का औसत</td>
<td>311.67</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ग) मूल्य सूचकांक 126.33 (दिनांक 01.01.2007 को)

(घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 185.34 (311.67-126.33)

(ङ) दिनांक 01-07-2019 से संवैधानिक महंगाई भत्ता दर 146.7% \[(185.34+126.33) \times 100\]

2. उपरुपक्ष महंगाई भत्ता दर अर्थात 146.7 औसत महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 तथा 02.04.2009 के कार्यात्मक जारी पर अनुसार संवैधानिक वेतनमान (2007) की स्वीकृति दी गई है।

3. भारत सरकार के भर्ती प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपरुपक्ष को आवश्यक कार्यवाह के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्योगों के घर में लाए।

आधुनिक
(समस्त हुक) अबर सचिव

सेवा में,
भारत सरकार के भर्ती प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।
प्रतिलिपि प्रेषित -

1. केंद्रीय सरकारी उद्योगों के सुख्य कार्यालय।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यापार विभाग, स्थानीय शाखा, नार्थ व्यू, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रण और महालेखा परिषद, 9 दिनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राज्यविभाग सुभाष केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यवाह जारी के लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।